AGRA POLICE

"सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा"

प्रेसनोट थाना मंटोला जनपद आगरा।   दिनांक 07.06.2022

थाना मंटोला पुलिस टीम द्वारा महिला को दहेज के लिये प्रताडित करने वाले 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार....

दिनांक 06.06.2022 को वादिया द्वारा थाना मंटोला पर तहरीर दी गई कि मेरा निकाह कासिम कुरैशी के साथ 02 साल पहले हुया था। निकाह के बाद ही मुझे दहेज के लिए शारीरिक व मानसिक उत्पीडन करते थे। मेरे ससुरालीजनों ने मुझे मारपीटा गाली गलौज की और कहा की अगर तू दहेज नही लेके आई तो अपने बेटे का तेरे से तलाक कराके उसकी दूसरी जगह शादी करा दूगी। इस सम्बन्ध थाना मंटोला पर मु0अ0सं0 62/22 धारा 323/498(ए) भादवि, 3/4 दहेज एक्ट व 3/4 मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण अधि0 पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त घटना में संलिप्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आगरा के निर्देशन में, पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में, क्षेत्राधिकारी छत्ता के सफल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी मंटोला को टीम गठित कर आवश्यक दिशा–निर्देश दिये गये।

इसी क्रम में दिनांक 06.06.2022 को थाना पुलिस टीम थाना क्षेत्र मे गश्त करती हुयी सदर भट्टी चौराहा पर पहुंची। इसी दौरान मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुयी कि उपरोक्त घटना में वांछित अभियुक्त इस समय मीरा हुसैनी चौराहा पर कही जाने की फिराक में खडा है।

इस सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुये पुलिस टीम द्वारा बताये स्थान पर पहुंचकर पुलिस टीम द्वारा एक बारगी दबिश देकर 01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण :–

01. कासिम पुत्र सलीम निवासी घटिया मामू भांजा थाना मंटोला जनपद आगरा।

आपराधिक इतिहास का विवरण :–

01. मु0अ0सं0 62/22 धारा 323/498(ए) भादवि, 3/4 दहेज एक्ट व 3/4 मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण अधि0 थाना मंटोला जनपद आगरा।

पुलिस टीम का विवरण :–

01. व0उ0नि0 राजवीर सिंह थाना मंटोला जनपद आगरा।
02. म0उ0नि0 सुनीता गुप्ता थाना मंटोला जनपद आगरा।
03. रि0का0 सोनू सिंह थाना मंटोला जनपद आगरा।
04. म0का0 अनामिका सिंह व म0का0 उपासना चौहान थाना मंटोला जनपद आगरा।

मीडिया सेल जनपद आगरा।